



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256205
CG-DL-E-09082024-256205

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3061]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 8, 2024/ श्रावण 17, 1946

No. 3061]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 8, 2024/ SHRAVANA 17, 1946

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2024

का.आ. 3211(अ).—वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद के परामर्श के पश्चात्, भारत सरकार के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 21 फरवरी, 1973 को प्रकाशित तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 21 फरवरी, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) शीर्षक "यू.एस.ए." के अंतर्गत, क्रम संख्या 8(ख) में, प्रविष्टि क्रम संख्या 36 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, नामतः—

"37" दक्षिणी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर (एससीआई-आर्क), लॉस एंजिल्स, यूएसए द्वारा प्रदान की जाने वाली मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर 2 डिग्री।

(ख) शीर्षक “यूएई” के अंतर्गत क्रम संख्या 16 को “16(1)” के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित क्रम संख्या 16(1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(2) दुबई, यूएई में स्थित अमेरिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली वास्तुकला स्नातक की डिग्री।”

2. यह अधिसूचना अधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. 4-32/2021-टीएस.VI]

सौम्या गुप्ता, संयुक्त सचिव

ध्यानार्थ- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 21 फरवरी, 1973 संख्या सा.का.नि. 68(अ) और अंतिम बार संशोधन दिनांक 10 नवम्बर, 2020 की संख्या का.आ. 4038(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2024

S.O. 3211(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), the Central Government, after consultation with the Council, hereby makes the following amendments further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Education and Social Welfare, number G.S.R. 68(E), dated the 21st February, 1973, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 21st February, 1973, namely:—

In the said notification,-

(a) under the heading “U.S.A.”, in serial number 8(b), after entry number 36, the following entry shall be inserted, namely:—

“37. Master of Architecture 2, awarded by the Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc), Los Angeles, USA.”;

(b) under the heading “UAE” the serial number 16 shall be renumbered as “16(1)” thereof and after serial number 16(1) as so renumbered, the following entry shall be inserted, namely:-

“(2) Bachelor of Architecture awarded by the American University in Dubai, UAE.”

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 4-32/2021-TS.VI]

SAUMYA GUPTA, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 68(E), dated the 21st February, 1973 and last amended, *vide* number S.O. 4038(E), dated the 10th November, 2020.